FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

मूल चन्द पुत्र बिरदीचन्द जाति कलाल निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर राज व अन्य।
—वादीगण

बनाम

• कुंजबिहारी पुत्र बाछू राम , जाति छीपा, निवासी 20 जैन विहार कॉलोनी, खादी ग्रामोद्योग रोड, सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान व अन्य।

—प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 37/2023
ऑनलाइन नंबर 2023/..........

वकील वादीः— योगेश शर्मा **वकील प्रतिवादीगण.......**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.07.2023	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री **योगेश शर्मा** ने अन्तर्गत धारा 53,188, राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई	
18/8/2023	वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC वास्ते शीघ्र सुनवाई बाबत प्रकरण को नोट प्रेम करने के क्रम में तथा उक्त प्रा० पत्र को स्वीकार किये जाने से पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आज तलब की गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है अतः वे वाद को अब आगे नही चलाना चाहते है। हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा ओडरिका पटीशन press का अंकन किया गया। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	Not press (हस्ताक्षर) 18/8/23